छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2026 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार,दिनांक 13 जुलाई, 2026 (आषाढ़ 22,1948)

समय 11:00 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

पद्म विभूषण श्रीमती तीजन बाई, छत्तीसगढ़ की पंडवानी गायिका।

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (क्रमांक 10 सन् 1994) की धारा 28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2024–25 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2024–2025 पटल पर रखेंगे।

(3) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार :–

(i) अधिसूचना क्रमांक 120/सी.एस.ई.आर.सी./2026, दिनांक 18 मार्च, 2026 तथा

(ii) अधिसूचना क्रमांक 121/सी.एस.ई.आर.सी./2026, दिनांक 18 मार्च, 2026 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (संसाधन पर्याप्त के लिये रूपरेखा) विनियम, 2026 पटल पर रखेंगे।

(4) श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास), विकसित भारत–रोजगार और आजीविका के लिये गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी–जी राम जी (विकसित भारत–जी राम जी) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 36 सन् 2025) की धारा 35 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक RULE-503/25/2026-SECTION (MGNREGA), दिनांक 25 जून, 2026 द्वारा अधिसूचित ''विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिये गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी–जी राम जी (विकसित भारत–जी राम जी) योजना, छत्तीसगढ़'' पटल पर रखेंगे।

क्रमशः 2

(5) श्री ओ.पी. चौधरी, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार गुड्स एंड सर्विसिस टैक्स नेटवर्क (एक सरकारी उद्यम) की वार्षिक रिपोर्ट 2024–25 पटल पर रखेंगे।

4. फरवरी–मार्च, 2026 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

5. नियम 267–क के अधीन फरवरी–मार्च, 2026 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

6. राज्यपाल द्वारा लौटाये गये विधेयक की सूचना

7. राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

8. सभापति तालिका की घोषणा

9. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश में पुरातात्विक वस्तुओं के संरक्षण संवर्धन में लापरवाही किये जाने की ओर संस्कृति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री ब्यास कश्यप, सदस्य, जिला चिकित्सालय जांजगीर में परिवार नियोजन प्रोत्साहन राशि में अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

दिनेश शर्मा,
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 12 जुलाई, 2026